सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–06.06.2024 को जूम के माध्यम से सम्पन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक–06.06.2024 को राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के साथ अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना अध्यक्षता में की गई है।

बैठक में सर्वप्रथम 2500 खेसरों से कम वाले राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नरूपेण प्रगति पाई गई–

I. 2500 खेसरों से कम वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की प्रगति

2500 खेसरा तक विशेष् सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति											
क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी	प्रपत्र–6 इंट्री	एल0 पी0 एम0 लंबित	एल0 पी0 एम0 वितरण के पश्चात् सुनवाई	विश्रांति के लिए लंबित राजस्व ग्राम	Map Updation के लिए लंबित	अभ्युक्ति
1	अररिया	85	80	5	4	0	0	0	0	1	
2	बेगूसराय	286	274	12	6	1	3	4	4	2	
3	खगड़िया	79	77	2	2	0	0	0	0	0	
4	किशनगंज	284	182	102	0	64	2	17	18	1	
5	मधेपुरा	61	59	2							रिर्पोट अप्राप्त
कुल		795	672	123	12	65	5	21	22	4	

समीक्षा में पाया गया कि किशनगंज को छोड़कर सभी जिलों द्वारा 2500 खेसरों तक वाले लगभग सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। बेगूसराय में मुख्य रूप से रेलवे एवं NHAI के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित राजस्व ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन का कार्य लंबित है। किशनगंज के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान समय में निदेश के आलोक में प्रथम चरण के सभी ग्रामों अंतर्गत 155 राजस्व ग्राम में खानापुरी का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रपत्र–6 की इंट्री का कार्य बाधित हुआ है। यह भी बताया गया कि आगामी 10 दिनों में खानापुरी का कार्य लगभग पूरा हो जाएगा, तत्पश्चात प्रपत्र–6 की इंट्री के कार्य में तेजी लाकर माह जून–2024 में 2500 खेसरों तक वाले सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाएगा।

निदेशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में स्वामित्व निर्धारण संबंधी समस्या है, उनमें वर्त्तमान में जो भी स्वामित्व संबंधी साक्ष्य उपलब्ध है, उनके आधार पर प्रपत्र–12 में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाए।

II. <u>2501 से 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की प्रगति</u>

2500 खेसरों तक वाले ग्रामों की प्रगति के समीक्षोपरांत 2501 से 5000 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रगति की समीक्षा की गई एवं जिलावार, प्रक्रमवार किये जाने वाले कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई–

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र . 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० एम० लंबित	एल० पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या		
1	अररिया	32	10	22	1	1	0	7	1	0	11	0	1	
2	अरवल	88	14	74	1	8	10	14	5	3	20	13	0	
3	बांका	57	25	32	0	3	4	16	0	1	10	0	0	
4	बेगूसराय	67	13	54	7	13	0	18	2	27	13	2	0	
5	जमुई	30	11	19	इनके द्वारा सभी अमीन को खानापुरी कार्य मे लगा दिया गया है।									
6	जहानाबाद	56	25	31	0	3	0	0	8	0	13	6	1	
7	कटिहार	34	33	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
8	खगडिया	45	11	34	0	3	2	12	2	3	12	0	0	
9	किशनगंज	97	0	97	0	82	8	6	0	0	1	0	0	
10	लखीसराय	85	15	70	0	6	0	51	0	0	7	0	5	
11	मधेपुरा	18	1	17										रिपोर्ट अप्राप्त
12	मुंगेर	33	28	5	0	0	0	1	0	0	2	0	2	
13	नालंदा	102	82	20	0	0	0	0	0	0	9	1	8	
14	सहरसा	45	11	34	0	9	0	14	0	8	0	0	3	
15	शिवहर	25	19	6	0	0	1	2	0	0	3	0	0	
16	सीतामढी	106	24	82	0	20	0	37	2	0	18	1	4	
17	सुपौल	64	41	23	0	1	0	8	4	0	0	5	0	
18	प० चम्पारण	63	17	46			4	15	3	5	4	15	0	
	कुल	1047	380	667	9	149	29	201	27	47	124	43	24	

III. 5000 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की प्रगति

5000 खेसरों तक वाले ग्रामों की प्रगति के समीक्षोपरांत 5000 से अधिक वाले खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रगति की समीक्षा की गई एवं जिलावार, प्रक्रमवार किये जाने वाले कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई–

5000 से अधिक खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति

क्र० सं०	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इंट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल०पी०एम०		सुनवाई		नक्शा लंबित	अभ्युक्ति
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र . 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल० पी० एम० लंबित	एल० पी० एम० वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या		
1	अररिया	39	0	39	5	13	0	18	0	0	2	0	1	
2	अरवल	58	0	58	0	40	0	14	1	0	1	2	0	
3	बांका	48	1	47	0	29	4	6	0	1	2	1	0	
4	बेगूसराय	75	1	74	2	56	0	11	2	3	3	0	0	
5	जमुई	56	0	56	इनके द्वारा सभी अमीन को खानापुरी कार्य मे लगा दिया गया है।									
6	जहानाबाद	25	1	24	0	6	0	13	2	0	2	0	1	
7	कटिहार	17	5	12	0	0	0	0	1	0	5	6	0	
8	खगडिया	32	0	32	0	22	0	7	0	0	4	0	0	
9	किशनगंज	73	0	73	0	72	0	1	0	0	0	0	0	
10	लखीसराय	59	0	59	6	37	0	17	0	0	0	0	0	
11	मधेपुरा	35	0	35										रिपोर्ट अप्राप्त
12	मुंगेर	8	0	8	0	4	0	1	0	0	2	0	1	
13	नालंदा	77	2	75	0	33	0	30	7	0	4	0	1	
14	पूर्णियाँ	13	0	13	0	5	0	5	1	2	0	0	0	
15	सहरसा	35	0	35	0	20	0	12	1	2	0	0	0	
16	शेखपुरा	60	31	29	0	2	0	14	0	0	8	5	0	
17	शिवहर	24	0	24	0	15	6	4	0	0	0	0	0	
18	सीतामढी	57	1	56	0	43	0	8	1	0	4	0	0	
19	सुपौल	111	8	103	0	83	4	5	2	1	7	1	0	
20	प० चम्पारण	66	0	66	0	39	13	8	1	3	1	1	0	
	कुल	968	50	918	13	519	27	174	19	12	45	16	4	

जिलास्तरीय प्रगति की समीक्षा उपरांत जिला से प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत हैः–

(i) जमुई के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में अमीनों की संख्या मात्र 62 है, जबकि प्रथम चरण अंतर्गत कुल 155 राजस्व ग्रामों में 76 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं हुआ है। अमीनों की संख्या पर्याप्त संख्या में नहीं रहने के कारण खानापुरी के कार्य की प्रगति बाधित हो रही है, उनके द्वारा 25 अतिरिक्त अमीनों को पदस्थापित करने अनुरोध किया गया है।

निदेशित किया गया कि शेखपुरा अथवा अन्य किसी जिले से 25 अमीनों को स्थानांतरित कर जमुई जिले को उपलब्ध कराया जाए।

(ii) समीक्षा में पाया गया कि सहरसा जिले द्वारा अब तक एक भी राजस्व ग्राम का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रपत्र–20 में प्रकाशित नहीं किया गया है, जबकि अरवल जिले द्वारा मात्र एक राजस्व ग्राम मात्र एक ग्राम का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रपत्र–20 में प्रकाशित किया गया है।

निदेशित किया गया कि सहरसा एवं अरवल जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी से कारण–पृच्छा की जाय।

(iii) विभिन्न जिलों द्वारा अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की प्रगति के सम्बन्ध में प्रतिवेदित किया गया कि अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्रामों के प्रपत्र–20 में तथा मानचित्र में पूर्व के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किया गया है एवं प्रपत्र–20 के बाद दावा/आपत्ति प्राप्त करने एवं निष्पादन की प्रक्रिया पूर्णतः अवरूद्ध है।

निदेशित किया गया कि सभी जिलों की समीक्षा कर वैसे ग्रामों की सूची संधारित की जाए, जिनका प्रपत्र–20 में छः माह पूर्व प्रकाशित हो चुका है और उनमें दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वैसे ग्रामों की सूची भी संधारित की जाए जिनके प्रपत्र–20 एवं मानचित्र में बन्दोबस्त पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर नहीं किया गया है। साथ ही जिलावार वैसे बन्दोबस्त पदाधिकारियों की सूची भी संधारित कर ली जाए, जिनका स्थानांतरण हो चुका है और उनके कार्यकाल में प्रकाशित प्रपत्र–20 तथा मानचित्र के विरूद्ध सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है अथवा प्रपत्र–20 एवं मानचित्र पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है।

(iv) बैठक में बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि प्रपत्र–20 में प्रकाशन हेतु जो अधिकार अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, उनकी समीक्षा से स्पष्ट होता है कि औसतन प्रत्येक ग्राम के अंतिम अधिकार अभिलेख की रैयतों द्वारा भू–स्वामित्व साक्ष्य उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण 10 से 20 प्रतिशत तक की भूमि का स्वामित्व अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर निर्धारित हो रहा है। इस संबंध में विभिन्न बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि वैसे मामलों में जहाँ रैयतों द्वारा भू–स्वामित्व से संबंधित कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जाता है, में भू–स्वामित्व की स्थिति को मूल खतियानी रैयत अथवा उनके वंशजों के नाम पर संधारित की जाए।

निदेशित किया गया कि जिन रैयतों द्वारा भू–स्वामित्व से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है एवं भूमि का स्वरूप खतियान के अनुसार रैयती है, वैसे मामलों में भू–स्वामित्व की स्थिति किस प्रकार किसके नाम पर निर्धारित की जानी है, के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर पर राजस्व विषयों के अनुभवी पदाधिकारियों के साथ विमर्श कर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करते हुए तदनुसार जिलों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार

D:\Sanjeev-2024\Birendra Sir\Proceeding\Weekly Zoom Meeting_Proceeding\Proceeding_06.06.2024.docx

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 /12555 **पटना, दिनांकः** 21.6.24

प्रतिलिपिः बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुर / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 /12555 **पटना, दिनांकः** 21.6.24

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 /12555 **पटना, दिनांकः** 21.6.24

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग / प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 /12555 **पटना, दिनांकः** 21.6.24

प्रतिलिपिः प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना / राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में पदस्थापित सभी अनुदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 /12555 **पटना, दिनांकः** 21.6.24

प्रतिलिपिः सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0), किशनगंज / अररिया / अरवल / बांका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालंदा / पूर्णिया / सहरसा / शेखपुरा / शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 ..12555.......... **पटना, दिनांक**:..21.6.24

प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 ..12555......... **पटना, दिनांक**:..21.6.24

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 ..12555......... **पटना, दिनांक**:..21.6.24

प्रतिलिपि : निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एव परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 ..12555......... **पटना, दिनांक**:..21.6.24

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एव परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0सर्वे0–10 / 2022 ..12555......... **पटना, दिनांक**:..21.6.24

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/2024

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप